REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 6 | MARCH - 2019

राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में महिलाओं के विरूद्व अपराध

सुरेश कुमार त्रिवेदी
शोध कर्ता , विधि विभाग, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही) राजस्थान.

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान राज्य में होने वाले महिला अपराधों का अध्ययन किया गया जिसमें प्राचीन काल में महिलाओं पर होने वाले अपराधों में बहु विवाह के साथ वर्तमान समय में इन अपराधों का स्वरूपों में बदलाव आया है।जिसमें बलात्कार ,छेडछाड ,लज्जा भंग करना लडकियों का आयात निर्यात एवं दहेज की मांग मुख्यतया है। इन अपराधों के निवारण हेतु सामाजिक जागरूकता एवं उचित विधिक व्यवस्था की नितान्त आवश्यकता है।

मुख्य शब्द – अपराध , महिला अपराध , कानुनी अवधारणा.

प्रस्तावना

''अपराध'' शब्द जितना प्रचलित है उसकी परिभाषाा देना उतना ही कठिन है। इसकी अभी तक कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी जा सकी है हम यहाँ कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं।

अपराध मानव व्यवहार हैं, किन्तु हम सभी मानव–व्यवहारों को अपराध नहीं कह सकते। केवल वे ही मानव–व्यवहार अपराध है जो सामाजिक मूल्यों के प्रतिकुल होते है और जिनसे समाज को हानि पहुँचती है। अपराध सामाजिक विघटन की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है और फिर वैयक्तिक विघटन का जटिल रूप व्यक्ति का अपराधी होना है।

अध्ययन का उद्देश्य

1.राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में सामाजिक अपराधों की विवेचना करना
2.राजस्थान राज्य के संदर्भ में विधिक अपराधों की विवेचना करना
3.समयान्तर अपराधों के प्रकार में बदलाव के कारणों का पता करना।

अध्ययन विधि तंत्र

समीक्षा

अपराध की सामाजिक अवधारणा

अपराध का सार्वभौमिक स्थिति है। प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते है इनका निर्माण समाज के हित के लिए किया जाता है ये निगम समाज की व्यवस्था को बनाए रखते है। जो व्यक्ति अपने समाज के नियमों का पालन करते है, समाज उनका आदर करता है। परन्तु कुछ नियम ऐसे भी होते है जो किसी विशेष कारण अथवा परिस्थितिवश समाज के इन नियमों का पालन नहीं करते है। वे समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार करते है। तब व्यक्ति समाज–स्वीकृत प्रतिमानों के प्रतिकुल आचरण करता है और जिन्हें वहाँ का राज्य समाज विरोधी कार्य मानकर दण्डनीय स्वीकार करता है तब इन आचरणों को अपराध की संज्ञा दी जाती है।

ऐसे समाज विरोधी कार्यों का नीति शास्त्र अनैतिक मानता है, धर्म शास्त्र इनको पाप समझता है और समाज–शास्त्र इनको अपराध मानता है। साथ ही आदिम जनजाति समाजों के अपकृत्य के नाम से जाना जाता है।

अपराध एक सार्वभौमिक होते हुए भी इसकी व्याख्या में सार्वभौमिकता का अभाव है इसका मुख्य कारण यह है कि अपराध की व्याख्या देश की काल क्षेत्र और परिस्थितियों के अनुकूल होती है जैसे बलात्कार को अनेक देशों में एक छोटी सी भूल के रूप मे स्वीकार किया जाता है जबकि भारत में यक एक भयंकर अपराध है। अपराध की व्याख्या में कानूनी और समाज शास्त्रीय दोनों ही दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

इलियट– अपराधाशास्त्र की परिभाषा अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जाती है।1

काल्डवैल ने लिखा है कि अपराध उन मूल्यों उन मूल्यों के संग्रह का उल्लंघन है जो एक निश्चित स्थान पर किसी समय–विशेष में एक संगठित समाज को मान्य होते हैं।2

मोरर के अनुसार भी एक समाज विरोधी कार्य को ही अपराध कहा जाना चाहिए। स्पष्ट है कि यह अपराध का कानूनी दृष्टिकोण न्यायपालिका द्वारा शेष–प्रमाण और दण्ड पर बल देता है वहाँ सामाजिक दृष्टिकोण में यह आवश्यक नहीं है। समाज–शास्त्रीय दृष्टि से वे सभी कार्य और व्यवहार अपराध कहे जाते है जो सामाजिक आदर्शों, नियमों और आचरणों के विपरीत होते है। कभी–कभी कुछ ऐसे भी अपराध होते है जिनका कानून से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

गारोफेलों ने प्राकृतिक अपराध के सिद्धान्त का विकास करते हुये अपराध को सामाजिकता की परिभाषा प्रदान की है। इनके अनुसार करुणा तथा न्यायिकता की प्रचलित भावना का उल्लंघन का अपराध है।3

रैडक्लिफ ब्राउन के अपराध की प्रथाओं के उल्लंघन कार्य की संज्ञा दी है, जिनके निमित दण्डात्मक अनुशास्ति के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है।4

थामस ने सामाजिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के अपराध को परिभाषित करते हुये कहा है कि यह एक ऐसा कार्य है जो किसी ऐसे वर्ग की सामाजिकता के प्रतिकूल हो जिसे व्यक्ति अपना समझते है।5

सदरलैंण्ड के अनुसार ''एक मूल्य जों एक समूह द्वारा अथवा उस समूह के राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग द्वारा मान्यता प्राप्त है समूह के दूसरे भाग का उससे पृथक होना अथवा सांस्कृतिक संघर्ष होना जिससे कि इस पृथक भाग के सदस्य उस मुल्य की सराहना नहीं करते या बहुत कम सराहना करते है तथा परिणाम स्वरूप उस मूल्य की सराहना करता है उस अंग के लिए एक प्रभावपूर्ण दबाव की व्यवस्था जो उसकी सराहना नहीं करता। इस प्रकार अपराध व्यक्ति के स्थान पर समूह या समाज की दृष्टि से देखा जाता है। जो इन्हीं उपर्युक्त सम्बन्धों का एक जाल मालूम पड़ता है।''6

इलियट और मेरिल के अनुसार ''जब किसी व्यक्ति को असामाजिक ठहराया जाता है तो उसका आचरण उस मान्य आचरण से, जो समूह के द्वारा उस स्थिति में निश्चित होता है, भिन्न होता है।7

यह स्मरणीय है कि अपराध समय–समय पर स्थानानुसार परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्दों में अपराध को प्रक्रिया तो सार्वभौमिक है परन्तु इसकी परिभाषा सार्वभौमिक नहीं है। यह स्थान और समय के साथ–साथ बदलती रहती हैं।

अपराध की कानूनी अवधारणा

कानूनी दृष्टिकोण से ऐसा कोई भी कार्य और व्यवहार अपराध है जिसे कानून वर्जित करता है। इस परिभाषा के अनुसार अपराधी वह व्यक्ति होगा जिसे न्यायालय द्वारा दोषी प्रमाणित किया जाए और सिद्ध दोष

के लिए दण्डित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, किन्तु न्यायालय में अपराध सिद्व न होने से बरी हो जाता है तो कानूनी दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता है अपराध की कुछ कानूनी परिभाषाएँ इस प्रकार है।

सर विलियम ब्लैंक स्टोन8 ने अपनी पुस्तक इंग्लैण्ड़ के कानूनों की टीका में अपराध को लोक–विधि के उल्लंघन में वह कार्य माना है जो विधि द्वारा निषिद्ध अथवा समादेशित हो, इसी पुस्तक में उन्होंने पुनः यह कहा है कि अपराध लोक अधिकारों व समग्र समुदाय के प्रति देय कर्त्तव्यों का उल्लंघन है।

आस्टिन के अनुसार9 वह दोषपूर्ण कार्य जिसकों उत्पीडित पक्षकार या उनके प्रतिनिधियों की ओर से लक्ष्य बनाया जाए दुष्कृति है तथा वह दोषपूर्ण कार्य जिसे सम्प्रभु या उनके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य बनाया जाए अपराध है।

प्रोफेसर केनी10 के अनुसार वह सदोष कार्य है जिसके लिए दण्डात्मक स्वीकृति होती है तथा जिसके किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं छूट नहीं दी जा सकती है यदि किसी भी तरह छुट दी जाती है तो केवल राज्य द्वारा''

प्रोफेसर विनफील्ड11 के अनुसार छूट का तात्पर्य क्षमादान से है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 40 में अपराध की परिभाषा के उपबन्ध किये गये है।12 जिसमें खंड 2 और 3 वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय 'अपराध' शब्द इस संहिता द्वारा दण्डनीय की गई किसी बात का घोतक है।

हेकरवाल के अनुसार– ''अपराध कानून का उल्लंघन है।''13

माउस– ''अपराध वह क्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता है।''

लेंडिस एवं लैण्डिस के अनुसार14 ''अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित कर दिया है और जिसके लिए राज्य दण्ड देने की क्षमता रखता है''। पैपन के मतानुसार अपराध अपराधी कानून के उल्लंघन का सोद्देश्य कार्य है जो बिना औचित्य अथवा प्रतिरक्षा के किया जाता है

स्टीफेन के अनुसार अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण से हैं जिसका परिमाप उस अतिक्रमण से सम्बन्धित समाज में फैली हुई दुष्कृतियों से हो। उनका ही कहना है अपराध अधिकार का वह उल्लंघन है। जिसकी दुष्प्रवृति की भावना सम्प्रदाय के सन्दर्भ में हम देख सकते है।

एक अमरीका लेखक मिलर ने अपराध को वह कार्य अथा लोप बतलाया है जिसे राज्य अपने नाम से चलाई गई किसी कार्यवाही के माध्यम से दण्ड के अधिरोपण की धमकी के साथ करने को निषिद्ध अथवा समादिष्ट करता है।

कीटन15 भी किसी ''ऐसे अवांछनीय कृत्य'' को अपराध की संज्ञा देते है ''जिसे सुधारने के लिए राज्य शास्ति के अधिरोपण हेतु कार्यवाही को संस्थित करने में न हक क्षत पक्षकार के हाथों में उपचार को छोड़ देने में, अपने को अधिक सुविधानुकूल स्थिति में आता है'' इसी भाव बोध के साथ पेटन ने अपराध का सामान्य परीलक्षण राज्य द्वारा प्रक्रिया को नियंत्रित रखना, दण्ड का परिहार और दण्ड का अधिरोपण करना बतलाया है।

पाल डब्ल्यू. टप्पन16 ने भी अपराध को वह आशायित कार्य अथवा लोप है जो दण्ड विधि के अतिलांघन में किया गया हो, और जिसके पीछे विधि द्वारा स्वीकृत कोई ''न्यायानुमति'' न हो।

टप्पन की परिभाषा में अपराध को बचाव अथवा 'न्यायानुमति' विहिन कार्य बतलाया गया है वरन् कोई ''बचाव'' अथवा न्याननुमति दण्ड विधि के अन्तर्गत ही उपलब्ध हो सकता है।

इलियट और मेरिल– ''अपराध वह क्रिया है जो कानून द्वारा वर्जित है जिसके लिये मृत्यु, जुर्माना, कारावास, सुधारगृह में रखकर दण्डित किया जा सकता है।17

हैल्सबरीज लाज ऑव इंग्लैण्ड में यह कहा गया है कि अपराध वह अवैधानिक कृत्य या व्यक्तिक्रम है जो लोक प्रतिकुल है तथा कृत्य अथवा व्यक्तिक्रम के लिए दोषी व्यक्ति विधि पूर्ण दण्ड के लिए उत्तरदायी है।''18

भारतीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार

अपराध को ऐसे कार्य के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसमें उसके कर्ता को विधिक दण्ड दिया जा सकता है। अपराध उस कार्य को किये जाने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो विनिर्दिष्ट रूप से विधि द्वारा निर्षिद्ध है वह सदाचार अथवा सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध भी एक दण्डनीय अपराध हो सकता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं का सूक्ष्म विवेचन करने से हमें अपराध की जो प्रकृति अथवा उसका जो चित दिखलाई पड़ता है, उसे निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है।

(1) अपराध एक ऐसी क्षति है जो किसी मानव द्वारा उसके असामाजिक कृत्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है और जिसे संप्रभु नहीं चाहता।

(2) इसके निवारण के लिये राज्य अनुशास्ति अथवा दण्ड की धमकी देता है।

(3) अपराधकर्ता के दोष अथवा निर्दोष का विचार विशिष्ट विधिक कार्यवाहियों के अन्तर्गत संचालित है और साक्ष्य के विशिष्ट नियमों द्वारा उसका प्रतिपालन होता है।19

अपराध इस रूप में एक ऐसा उपकार है जो नैतिक अथवा सिविल अपकार से भिन्न है, और किसी दण्ड विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया है।20 भारतीय दण्ड संहिता के संदर्भ में यह किसी ऐसी बात का घोतक है जो स्वयं इस संहिता द्वारा अथवा किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बनाया गया है। यहाँ विशेष21 विधि का तात्पर्य उस विधि से है, जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो, जैसे उत्पाद शुल्क अधिनियम, अफीम अधिनियम, पशु अतिचार अधिनियम, रेल अधिनियम आदि। इसी प्रकार स्थानीय विधि22 का तात्पर्य वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो जैसे पोर्ट इस्ट एक्ट, राजस्व अधिनियम आदि।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 (ढ) के अन्तर्गत इसी का भाव बोध व्यक्त किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत ''अपराध'' से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है, जो किसी तत्समय प्रवृत विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया हो, और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य भी हैं जिसके बारे में पशु अतिसार अधिनियम, 1871 की धारा–20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की यह परिभाषा इस प्रकार अत्यन्त व्यापक प्रवर्तन से युक्त है और हर वह कार्य या लोप ''अपराध'' को कोटि में आ जाता है, जो किसी तत्समय प्रवृत विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया हो।23

यह स्मरणीय है कि अपराध समय–समय पर स्थानानुसार परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्दों में अपराध को प्रक्रिया तो सार्वभौमिक है परन्तु इसकी परिभाषा सार्वभौमिक नहीं है। यह स्थान और समय के साथ–साथ बदलती रहती हैं। उदाहरणार्थ जो भारत में दण्डनीय अपराध है अथवा एक स्थान पर सामाजिक त्रुटि है, वह दूसरे स्थान पर केवल एक सार्वजनिक अशिष्टता ही हो सकती ळें

प्राचीन काल में महिलाओं पर प्रमुख अपराध

बहु–विवाह की प्रथा–

राजपूतों में बहु–विवाह की प्रथा प्रचलित थी। प्रत्येक राजा के कई रानियाँ होती थी। वैश्यों में भी यह प्रथा प्रचलित थी।

डॉ. जी.एन. शर्मा के अनुसार ''यदि इस समय के कई नरेशों की पत्नियों का अनुमान लगाये, तो उनका औसत ६ से किसी कदर कम नहीं रहता।''

राजस्थान में प्रचलित इस कुरुति के कारण पारिवारिक जीवन कलेशमय हो जाता था। इसमें विधवाओं का भी बाहुल्य होता था।

कन्या वध–

राजस्थान में कनाया वद्य की कुरुति भी प्रचलित थी। इस प्रथा के प्रचलन का प्रमुख कारण लड़की के विवाह की समस्याएँ एवं परिवार के सम्मान के नष्ट हो जाने की आशंका थी। विवाह के लिए योग्य दहेज की व्यवस्था न कर पाने के कारण कुछ राजपूत परिवारों ने कन्या वद्य की कुप्रथा को अपना लिया था। ब्रिटिश सरकार के सुझाव पर राजपूत राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर इसे समाप्त करवाने में विशेष योगदान दिया।

डाकन प्रथा–

राजस्थान की भील व मीणा जातियों में डाकन प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार दिया जाता था। १६वीं सदी के उतरार्द्ध में राजपूत राज्यों में कानून द्वारा इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया।

औरतों एवं लड़कियों की क्रय विक्रय की प्रथा–

मध्यकाल में राजस्थान में स्त्रियों एवं लड़कियों के क्रय–विक्रय की कुप्रथा प्रचलित थी। कुछ राज्यों द्वारा इस खरीद–फरोख्त पर विधिवत् रुप से कर वसूल कर लिया जाता था। खरीद–फरोख्त के कई कारण थे। राजपूत लोग अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के साथ गोला–गोली (दास–दासी) देते थे, जिसके लिए वे औरतों एवं लड़कियों को खरीदते थे। इसके अतिरिक्त कुछ सामन्त व आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग रखैलों के रुप में उन्हें खरीदतें थे। कई वेश्याएं लड़कियाँ खरीदती थी, ताकि वे उनसे अनैतिक पेशा करवा सके। 1847 ई में सभी राजपूत राज्यों में इस प्रकार के क्रय–विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

वेश्यावृत्ति–

13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक राजस्थान में परम्परागत रुप से वेश्यावृत्ति की कुप्रथा प्रचलिथ रही, जो वेश्याएँ संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थी, उन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया जाता था और सरकारी कोष से उन्हें नियमित रुप से वृत्ति प्रदान की जाती थी। कई वेश्याएँ मंदिर में संगीत नृत्य करती थी, जिसके बदले में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता था। कई वेश्याएँ छोटी उम्र या किशोरवय की लड़कियों को खरीद लेती थी और उनसे अनैतिक धंधा करवाती थी। इस प्रथा को समाप्त करने अथवा नियंत्रित करने के लिए कीसी भी राज्य ने कोई भी कदम नहीं उठाया।

बाल विवाह–

मध्यकाल में राजस्थान में बाल–विवाह की कुप्रथा प्रचलित थी। हिन्दुओं को हमेशा मुसलमानो से इस बात का भय रहता था कि कहीं वे उनकी कन्याओं का उपहरण न कर लें। इस कारण वे लड़कियों को तरुणाई तक पहुँचने से पूर्व ही उनका विवाह कर देते थे। लगभग 7 या 8 वर्ष की आयु में ही कन्याओं का विवाह कर

दिया जाता था। इससे जहाँ एक ओर स्त्रियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती थी, वहीं उनकी स्थिति भी खराब होने लगी।

पुत्री जन्म–

मध्यकाल में पुत्री के जन्म को अशुभ माना जाता था। पुत्र के जन्म पर खुसी और पुत्री के जन्म पर दुःख मनाया जाता था।

कर्नल टॉड ने लिका है ''वह पतन का दिन होता है, जब एक कन्या का जन्म होता है।''

पर्दा प्रथा–

मध्यकाल में राजस्थान में पर्द प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा उच्च वर्ग में थी, निम्न वर्ग में नहीं। मुख्य रुप से कृषक वर्ग की स्त्रियों में पर्दे का तनिक भी प्रचलन नहीं था। वे खेतों में काम करती थीं, कुँओं से पानी भरती थी तथा स्वतंत्रतापूर्वक मंदिरों में पूजा करने के लिए आ–जा सकती थी।

विधवाओं की दशा–

मध्यकालीन राजस्थान में विधवाओं की दशा बहुत दयनीय थी। उनका जीवन बड़ा यंत्रणामय होता था। विधवाएँ दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। वे या तो अपने मृत पति के साथ सती हो जाती थी या फिर सांसरिक सुख से मोह हटाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी।

सती प्रथा–

राजस्थान की कुप्रथाओं में सती प्रथा का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुराणों एवं धर्म निबन्धों में इस प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस प्रथा के अनुसार मृत पति से साथ उसकी पत्नी जीवित जल जाती है। इस प्रथा को ''सहगमन' भी कहते है। शिलालेखों एवं काव्य ग्रन्थों में अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति रखने वाली पत्नी के लिए भी सती शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सती होने वाली महिला के कार्य को सत्यव्रत कहा गया है।

उत्तर प्राचीनकालीन तथा मध्यकालीन अभिलेखों तथा साहित्यिक ग्रन्थों में सती प्रथा के कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। सेनापति गोपराज ने हूणों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। इस प्रकार उनकी पत्नी 510 ई. में सती हो गई थी। राजपूत सामन्त राणुक की पत्नी संपल देवी उनके साथा ही सती हो गई थी। इस बात की पुष्टि घटियाला अभिलेख (1810 ई.) से होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध शासकों जैसे प्रताप, मालदेव, बीका, राजा जसवन्त सिंह, मुकुन्द सिंह, भीमसिंह एवं जयसिंह आदि के मरने पर उनके साथ उनकी कई रानियाँ, उप–पत्नियाँ, श्वासनें एवं दासियाँ सती हो गई थी। 1980 ई. में मेड़ता के युद्ध के बाद चित्तोड़ के तीन शासकों के अवसर पर साधारण परिवार की हजारों स्त्रियाँ सती हो गई थी। स्थानीय सती स्मारक स्तम्भों से इस बात की पुष्टि होती है।

प्रारम्भ में जब तक ''सुहागन' का महत्तव था, विकल्प के रुप में यह प्रथा प्रचलित रही, परन्तु जब युद्ध की सम्भावनाएँ बढ़ने लगी, त्योंही पतियों की मृत्यु होने पर युद्धोतर यातनाओं से महिलाओं को बचाने के लिए सती प्रथा ही एक मात्र विकल्प बचा था। आक्रमणों के अवसरों पर बन्दी बनाने, जलील करने या धर्म परिवर्तन की सम्भावना से भयभीत होकर भी अनेक स्त्रियाँ सती प्रथा का अनुसरण करती थी। धीरे–धीरे स्वार्थी तथा प्रतिष्ठा संबंधी तत्वों ने भी इस प्रथा को बढ़ावा दिया।

अजीतोदय में वर्णित है कि जब जसवन्त सिंह की मृत्यु की सूचना जोधपुर पहुँची तो उनकी पत्नियों ने स्नान करने के बाद अपने को फूलों तथा आभूषणों से सजाया तथा पालकी में बैठकर गाजे–बाजे व भजन मण्डियों के साथ मण्डोर के राजकीय शमशान की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने पति की पगड़ियों को अपनी गोद में रखा व चिता में प्रवेश कर सती हो गई।

राजाराम मोहनराय के प्रयासों से बैन्टिक ने एक कठोर कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जिसके कारण देश में तथा राजस्थान में इस कुप्रथा का अन्त हो गया। अब भावावेश में ही यदा–कदा सती होने के समाचार पढ़ने को मिलते है।

जौहर प्रथा –

सती प्रथा के समान ही एक और कुप्रथा राजस्थान में प्रचलित थी, जिसका नाम जौहर प्रथा था। जब शत्रु का आक्रमण होता था और स्त्रियों को अपने पति के लौटने की पुनः आशा नहीं रहती थी, और दुर्ग पर शत्रु के अधिकार की शत–प्रतिशत सम्भावना बन जाती थी, तब स्त्रियाँ सामूहिक रुप से अपने को अग्नि में जला देती थी। इसे जौहर प्रथा कहते थे। ऐसे अवसरों पर स्त्रियाँ, बच्चे व बूढ़े अपने आपको तथा दुर्ग की सम्पूर्ण सम्पत्ति को अग्नि में डालकर भष्म हो जाते थे। धर्म तथा आत्म सम्मान की रक्षा के लिए इस प्रकार का कदम उठाया जाता था, ताकि शत्रु द्वारा बन्दी बनाए जाने पर उन्हें अनैतिक तथा अधार्मिक करने के लिए विवश न होना पड़े। ऐसे कार्य से वे देश एवं स्वजनों के प्रति भक्ति अनुप्राणित करते थे और युद्ध में लड़ने वाले योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शौर्य एवं बलिदान की भावना से प्रेरित होकर शत्रुओं पर टूट पड़ते थे।

समसामयिक रचनाओं में जौहर प्रथा का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। अमीर खुसरों ने अपने ग्रन्थ ''तारीख–ए–अलाई' में लिखा है कि जब अलाउद्दीन ने 1301 ई. में रणथम्भौर पर आक्रमण किया व दुर्ग को बचाने का विकल्प न रहा तो दुर्ग का राजा अपने वीर योद्धाओं के साथ किले का द्वार खोलकर शत्रुदल पर टूप पड़ा। और इसके पूर्व ही वहाँ की वीराँगनाएं सामूहिक रुप से अग्नि में कूदकर स्वाह हो गयी। पध्मनाभ ने जालौर के आक्रमण के समय वहाँ के जौहर का रोमांचित वर्णन करते हुए लिखा है कि रमणियों की अग्नि में दी गयी आहुतियों ने योद्धाओं को निश्चित कर दिया और वे शत्रु दल पर टूट पड़े। 1303, 1535 एवं 1568 ई. के चित्तौड़ के तीनों शासकों के अवसर पर पद्मिनी, कर्मवती एवं पत्ता तथा कल्ला की पत्नयों की जौहर कथा इतिहास जगत में प्रसिद्ध है। अकबर के समय तो जौहर ने इतना भीषण रुप धारण कर लिया था कि चित्तौड़ का प्रत्येक घर तथा हवेली जौहर स्थल बन गयी थी। परिस्थितियों वश ये प्रथाएँ प्रारम्भ हो गयी थी, किन्तु सती प्रथा या जौहर प्रथा को मानवीय कसौटी पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आधुनिक काल में महिलाओं पर अपराध

बलात्कार–

हत्या, लूट और अपहरण की तुलना में बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ता अपराध है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, हर 60 मिनट में, इस देश में दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। बलात्कार के कई प्रकार हैं–

ए) कस्टोडियल बलात्कार– इस तरह के बलात्कार को अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए बलात्कार से अधिक दंडनीय बनाया गया था, जिसमें महिला की कोई हिरासत नहीं थी।

बी) एक गर्भवती महिला पर बलात्कार – एक गर्भवती महिला पर बलात्कार जघन्य प्रकार का बलात्कार है। जहां एक आदमी द्वारा बलात्कार किया जाता है। किसी भी उम्र की गर्भवती महिला पर, यह प्रकृति में गंभीर है, इसलिए इसे कई प्रकार के बलात्कार में रखा जाता है।

सी) बारह साल से कम उम्र की लड़की पर बलात्कार – बारह साल से कम उम्र की लड़की का बलात्कार एक जघन्य प्रकार का बलात्कार है और पूरे समाज के खिलाफ है। यह मानवीय की हार में नहीं होना चाहिए। इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए समाज के हर सदस्य का कर्तव्य है।

डी) गिरोह बलात्कार – गिरोह बलात्कार भी जघन्य बलात्कार है। जहां आम लोगों के एक समूह में एक या एक से अधिक महिलाओं द्वारा बलात्कार किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को गिरोह बलात्कार करने के लिए समझा जाएगा।

ई) पति द्वारा बलात्कार – पत्नी अपनी पत्नी के साथ यौन संभोग, बलात्कार नहीं है, अगर पत्नी 15 साल से ऊपर है। जहां पत्नी 15 साल से कम है, लेकिन 12 साल से ऊपर है, और उसके पति द्वारा यौन संभोग किया जाता है, यह बलात्कार की मात्रा में है। अप्रैल 2013 में दण्ड विधिक संशोधन अधिनियम द्वारा बलात्कार को अधिक दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

पिछले सात वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि बलात्कार के मामलों में वर्ष 2011 से 2013 तक 7.67 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि वर्ष 2014 से 2017 के दौरान इन अपराधों में कमी दर्ज की गई है जो कि 2015–2017 में बलात्कार के मामले में –9.30 प्रतिशत कमी दर्ज की गई यह कमी 2016 के तुलनात्मक –9.60 प्रतिशत थी।

अपहरण और भगाना–

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, राष्ट्रीय सीमाओं में व्यक्तियों की अवैध और गुप्त आंदोलन, बड़े पैमाने पर विकासशील देशों और कुछ देशों में आर्थिक रूप से संक्रमण के साथ, महिलाओं और लड़कियों के बच्चों को यौन या आर्थिक रूप से दमनकारी और भर्ती करने वालों के लाभ के लिए शोषण की स्थिति में मजबूर करने के अंतिम लक्ष्य के साथ , तस्करी और अपराध सिंडिकेट्स, साथ ही तस्करी से संबंधित अन्य कानूनी गतिविधियों जैसे मजबूर घरेलू श्रम, झूठी शादी के गुप्त रोजगार और झूठे गोद लेने।

महिलाओं के मामलों में अपहरण और भगानाने पिछले वर्ष 2012 (38,262 मामले) की तुलना में वर्ष के दौरान 35.6ः की वृद्धि दर्ज की है।

दहेजहत्या–

दहेज भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव और अन्याय के लिए प्रमुख कारण बनी हुई है। जब दहेज की मांग पूरी नहीं होती है, तो यह युवा दुल्हन के लिए गंभीर परिणाम में पड़ती है। 1961 का दहेज प्रोहिबिशन एक्ट भारत सरकार द्वारा दहेज को सामाजिक बुराई के रूप में पहचानने और इसके अभ्यास को रोकने के लिए पहला प्रयास है। हालांकि, यह देखना हास्यास्पद है कि अत्यधिक शिक्षित वर्गों में से, दहेज के लेख गर्व से एक स्थिति प्रतीक के रूप में विवाह में प्रदर्शित होते हैं। भारत में दहेज दुर्व्यवहार बढ़ रहा है। दहेज उन सामाजिक बुराइयों में से एक है कि कोई भी शिक्षित महिला गर्व के साथ मालिक नहीं होगी, फिर भी बहुत से लोग इसका पालन कर रहे हैं।

राजस्थान में पिछले वर्ष 2017 में कुल 457 केस दर्ज हुए हैं। यदि दहेज हत्या के मामलों को देखा जाये तो कुल –1.08 प्रतिशत कमी दर्ज हुई। राजस्थान में कुछ हद तक दहेज हत्या को विराम हुआ है लेकिन अभी भी इस प्रकार के अपराध पर विराम लगना बाकी है।

अत्याचार / सताना और क्रूरता–

भारत में महिलाओं पर किए गए 'यातना' के मामलों में 2013 के दौरान पिछले वर्ष (1,06,527 मामले) के दौरान 11.6ः की वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकतर मामलों (40.8ः) पश्चिम बंगाल (18,116 मामले) से राजस्थान 12.7ः (15,094 मामले) और आंध्र प्रदेश 12.7ः (15,084) से रिपोर्ट किए गए थे।

छेड़छाड़–

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक अन्य रूप छेड़छाड़ का है, या जिसे आमतौर पर 'यौन दुर्व्यवहार' या 'यौन हमला' कहा जाता है। यह महिलाओं पर एक आदमी द्वारा यौन व्यवहार की मजबूती है। छेड़छाड़ एक वयस्क या यौन उत्पीड़न के लिए एक पुरुष व्यक्ति द्वारा यौन शोषण है। देश में अपनी विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से महिलाओं पर हमले की घटनाएं पिछले वर्षों में सत्र 2016 में कुल 4838 तथा सत्र 2017 में यह संख्या 4883 पर पहुँच गई। विगत दो वर्षों के आँकड़ों का अध्ययन करते है तो यह वृद्धि कुल 0.91 प्रतिशत दर्ज हुई है।

यौन उत्पीड़न–

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार – यौन उत्पीड़न एक यौन प्रकृति का कोई व्यवहार है जो व्यवहार से अवगत व्यक्तियों के लिए अवांछित, आक्रामक या शर्मनाक है, या जो एक शत्रुतापूर्ण या भयभीत कार्य वातावरण बनाता है। यौन उत्पीड़न में यौन उत्पीड़न, यौन पक्षों के लिए अनचाहे अनुरोध, निहित खतरों से जुड़े यौन पक्षों के लिए अनुरोध या करियर की संभावनाओं, अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन छवियों को अपमानित करने के दृश्य प्रदर्शन, यौन शोषक आचरण, या यौन प्रकृति की आक्रामक टिप्पणियों के बारे में वादे शामिल हैं। विपरीत यौन संबंधों या एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच यौन उत्पीड़न हो सकता है। जबकि आम तौर पर इसमें व्यवहार का एक पैटर्न शामिल होता है, यह एक ही घटना का रूप ले सकता हैय और इसे किसी समूह या किसी विशेष व्यक्ति की तरफ निर्देशित किया जा सकता है।

लड़कियों की आयात–

भारत में 2013 में पंजीकृत 5 9 मामलों में 2013 (31 मामलों) में इस अपराध के तहत पंजीकृत मामलों में 47.4: की कमी देखी गई है। राजस्थान राज्य के संदर्भ में महिला अपरारधों में प्रमुख लड़कियों के आयात के आकड़ें लगभग नगण्य है जिसमें विगत दशकों में कोई कोई एकाध मामला दर्ज किया गया है।

दहेज आत्महत्या दुष्प्रेरण–

विगत वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पाया कि सर्वाधिक मामले वर्ष 2013 में 179 दर्ज किये गये थे तथा वर्ष 2016 में कुल 167 वर्ष 2017 में कुल 153 मामले दर्ज हुए है। विगत पाँच वर्ष के आँकड़े का अध्ययन करें तो धीरे–धीरे इनमें कमी दर्ज हुई है सत्र 2017 में यह कमी –1.08 प्रतिशत थी।

व्यवहरण / अपहरण–

पिछले वर्षों के आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन में महिला अपराधों में प्रमुखतया अपहरण / व्यपहरण के मामलों में तुलनात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। जहाँ सत्र 2016 में 4010 तथा सत्र 2017 में 3837 मामले दर्ज हुए है। इस प्रकार सत्र 2016–17 में कुल –4.31 प्रतिशत कमी दर्ज हुई है। लेकिन विगत वर्षों की तुलना में इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है।

महिला उत्पीड़न–

राजस्थान राज्य के संदर्भ में धारा 498। के अन्तर्गत पिछले दशकों के अपराधों के ब्यौरा देखा जाए तो निरन्तर बढ़ रहे थे। लेकिन विगत दो वर्षों में जहाँ सत्र 2015–16 में –3.98 प्रतिशत कमी दर्ज हुई थी तथा वही सत्र 2016 में महिला उत्पीड़न मामलों में –16.68 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है।

शालीनता भंग करने के इरादे से महिला उत्पीड़न/छेड़छाड़–

राजस्थान में महिला उत्पीड़न के मामलों में सबसे ज्यादा मामले छेड़छाड़ या महिला के शालीनता के भंग करने के इरादे से दर्ज होते है। जिनमें विगत वर्षो के आकडों का अध्ययन करने पर इनमें निरन्तर बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। विगत दो वर्षो के आकड़ों का अध्ययन करते है तो यह वृद्धि कुल 0.91 दर्ज हुई है।

लज्जा भंग करने के इरादे से महिला उत्पीड़न–

विगत वर्षों में महिला अपराधों के दर्ज मामलों में निरन्तर कमी आयी है। तथा अध्ययन में पाया गया है कि सत्र 2011 से पूर्व इसप्रकार के अपराधों की संख्या ज्यादा थी वही सत्र 2016 में राज्य कुल 16 केस दर्ज हुए है।

महिलाओं का अशिष्ठ रूपण–

इन मामलों में राज्य में सत्र 2011 के कुल 102 केस दर्ज हुएथे वही सत्र 2016 में 8 केस दर्ज हुए इस प्रकार महिलाओं के अशिष्ठ रूपण के मामलों में विगत दशकों में निरन्तर कमी आयी है।

महिलाओं के अनैतिक व्यापार–

विगत वर्षो में राजस्थान में महिलाओं के अनैतिक व्यापार के मामलों में उतार–चढ़ाव के आकड़े सामने आये हैं यह आकड़े राष्ट्र अपराध निरोधक व्यूरों के अनुसार सत्र 2016 में कुल 56 मामलें दर्ज किये हैं जो कि वर्ष 2015 में दर्ज कुल 85 मामलों की तुलना में 0.65 प्रतिशत कमी दर्ज की गई।

इस प्रकार राजस्थान में जहाँ महिला अपराधों की बात की जाती है तो प्रमुखतया सबसे ज्यादा मामले धारा 498ए के अन्तर्गत दर्ज किये गये है जिस के कारण यह राज्य भारत के मानचित्र पर अपराध के मामलों में चौथा स्थान रखता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अपराध के क्षेत्र में निरन्तर बदलाव हो रहे जहॉ प्राचीन काल में नारी को अबला समझा जाता था वही आधुनिक काल में इन अपराधों ने अपना स्वरूप बदला है।लेकिन जरूरत है कि समय के साथ साथ उपर्युक्त कानुन प्रकिया को सशक्त किया जानें तथा महिला शिक्षा के साथ साथ एक सामाजिक जागरूकता करने की नितान्त आवश्यकता है जिससे महिलाओं पर अपराधों का निस्तारण किया जा सके।

संन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. डी.एस. बघेल, अपराध शास्त्र विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 11
2. डॉ. डी.एस. बघेल, अपराध शास्त्र विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 12
3. डॉ. मुरलीधर चतुर्वेदी (2007), ''अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र'', लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन इलाहाबाद, पृ.सं. 12–13.
4. वही
5. डॉ. मुरलीधर चतुर्वेदी (2007), ''अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र'', लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन इलाहाबाद, पृ.सं. 12–13.
6. डॉ. डी.एस. बघेल, अपराध शास्त्र विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 68
7. डॉ. डी.एस. बघेल, अपराध शास्त्र विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 53
8. डॉ. एस.एस. श्रीवास्तव (2013), ''भारतीय दण्ड संहिता'', युनिवर्सिटी बुक हाउस, (प्रा.) लि. जयपुर, पृ.सं. 2
9. प्रो. त्रिदिवेश भट्टाचार्य (2010), ''भारतीय दण्ड संहिता''', 1860'', सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद
10. वही
11. डॉ. एस.एस. श्रीवास्तव (2013), ''भारतीय दण्ड संहिता'', युनिवर्सिटी बुक हाउस, (प्रा.) लि. जयपुर, पृ.सं. 2
12. राजाराम यादव, 2005, ''भारतीय दण्ड संहिता,'', 1860, सेन्ट्रल पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
13. डॉ. डी.एस. बघेल अपराध शास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 67
14. डॉ. एम.एम. लवानिया (1983), अपराध और अपराधी व्यवहार का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रिसर्च, दिल्ली,, पृ. सं. 2
15. डॉ. मुरलीधर चतुर्वेदी (2007), ''अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र'', लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन इलाहाबाद, पृ.सं. 11.
16. डॉ. एम.एम. लवानिया (1983), अपराध और अपराधी व्यवहार का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रिसर्च, दिल्ली, पृ. सं. 2
17. डॉ. डी.एस. बघेल, अपराध शास्त्र विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 66
18. डॉ. डी.एस. बघेल, अपराध शास्त्र विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 67
19. डॉ. मुरलीधर चतुर्वेदी (2007), ''अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र'', लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन इलाहाबाद, पृ.सं. 12–13.
20. रतनलाल तथा धीरजमल, 2010 भा.द.सं. 1860 स्मअपे छमगपग ठनजजमत ॅवतजी ॅकीं
21. वही, धारा 41, भा.द.सं. 1860
22. वही, धारा 42, भा.द.सं. 1860
23. रतनलाल तथा धीरजमल, 2001 भा.द.सं. 1978 वाधका एण्ड प्रकाशन, नई दिल्ली

LBP PUBLICATION